भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1309

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0

1309. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य कार्यस्थल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश और मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वास्तव में दिए गए कार्यस्थल प्रशिक्षण की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें प्रशिक्षण प्रदाता वास्तविक कार्यस्थल प्रशिक्षण अथवा नियोजन उपलब्ध कराने में विफल रहे हों, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले आए हैं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवार्य कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रहने वाले या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं पर कौन-से दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) प्रशिक्षणार्थियों को सुनिश्चित रूप से वास्तविक उद्योग का अनुभव दिलाने के लिए, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पीएमकेवीवाई 4.0 का एक अभिन्न घटक है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रशिक्षण प्रस्ताव जमा करने के चरण में ही ओजेटी भागीदारों की पहचान और मैपिंग सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल पर ओजेटी की प्रारंभ और समाप्ति तिथि घोषित करना अनिवार्य है। ओजेटी प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान प्रशिक्षण पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिसमें प्रशिक्षु की प्रशिक्षण अवधि और उपस्थिति दर्ज होती है। यह प्रमाण पत्र भी सिद्ध पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 प्रशिक्षण के सभी घटकों, जिनमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) भी शामिल है, की निगरानी और सत्यापन के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे उम्मीदवारों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और ओजेटी प्रमाणपत्रों को स्किल इंडिया डिजिटल हब पर अपलोड करें। मूल्यांकन एजेंसियां और क्षेत्र कौशल परिषद/अवार्डिंग बॉडीज मूल्यांकन के दौरान ओजेटी रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों का सत्यापन करती हैं, साथ ही ओजेटी नियमित भौतिक निरीक्षणों के अंतर्गत भी आती है। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर पीएमकेवीवाई 4.0 दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित दंड ग्रिड के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई के तहत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किए गए इस योजना के पहले तीन संस्करणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत नियोजन पर नज़र रखी गई थी। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जो वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसरों को चुनने के लिए सशक्त बनाने पर है। इसके लिए उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) से जुड़े उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त किया जाता है।

उम्मीदवारों का मूल्यांकन ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के सफल समापन के बाद ही किया जाता है। ओजेटी घटक निगरानी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में की जाने वाली नियमित भौतिक निरीक्षण गतिविधियों के अंतर्गत भी आता है। एमएसडीई ने प्रमाणीकरण पश्चात ट्रैकिंग, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और सख्त संस्थागत प्रक्रियाओं के संयोजन के माध्यम से पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत मूल्यांकन गतिविधियों के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, एमएसडीई ने स्पष्ट केपीआई, स्वचालित अलर्ट और संशोधित दंड मैट्रिक्स के साथ पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत अपने निगरानी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। निरीक्षण और डेटा सत्यापन के आधार पर जहां भी अनुपालन न होने की स्थिति पाई गई है, वहां निलंबन, भुगतान रोकना, कारण बताओ नोटिस जारी करना, प्रत्यायन और संबद्धता रद्द करना, ब्लैकलिस्ट करना, भुगतान की वसूली और एफआईआर दर्ज करना जैसी कार्रवाई शुरू की गई है।
